

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत
आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 1077/2026**

श्रीमती सुमन लता श्रीवास्तव

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थिनी (गण) के अधिवक्ता : - डॉ. शिप्रा त्रिपाठी, अजीत कुमार यादव,
महक साहू, सलोनी महावर

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रार्थिनी द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र थाना- महिला थाना, जिला - लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 80, 84, 85, 352, 351(2) एवं दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0004/2026 में उसे अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिनी के पुत्र का विवाह सूचनाकर्ता की पुत्री के साथ संपन्न हुआ था तथा पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद था, और सूचनाकर्ता की पुत्री उनके साथ रह रही थी तथा वह किसी बीमारी से पीड़ित थी, जिसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परिणामस्वरूप उसे उसके माता-पिता द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, केवल प्रार्थिनी और उसके ससुराल वालों को परेशान करने के इरादे से, प्रश्नगत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनका यह भी निवेदन है कि ससुर और पति, अर्थात् अजय कुमार श्रीवास्तव और विकास श्रीवास्तव को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका संख्या 993/2026 और 1037/2026 में पहले ही अंतरिम अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। वे यह भी तर्क देते हैं कि प्रार्थिनी विवेचना में सहयोग करने के लिए तैयार है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए वह अग्रिम जमानत की हकदार है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थिनी की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विवेचना जारी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थिनी की संलिप्तता दर्शाई गई है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष केस डायरी भी प्रस्तुत की गई है। केस डायरी के पर्चा 14 दिनांक 21.05.2026 में यह उल्लेख किया गया है कि डॉ. सुधीर कुमार, फिजिशियन, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम विवेकानंद पोलिक्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, मोबाइल नं. 9773804392 का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि रिया सक्सेना को लीवर खराब होने और रक्तस्राव होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन्हें दिनांक 6.06.2025 को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद दिनांक 10.06.2025 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार के सदस्यों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से इनकार कर दिया।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने और जमानत याचिका की सामग्री के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत केस डायरी की सामग्री सहित अन्य संबंधित दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, केस डायरी से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु पुरानी/गंभीर बीमारी के कारण हुई थी। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि प्रार्थिनी अग्रिम जमानत की हकदार है। यदि प्रार्थिनी को अभिरक्षा में लिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाता है, तो उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के समक्ष रु. 50,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर प्रार्थिनी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थिनी पर जैसा अपराध करने का आरोप है या संदेह है, वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भागीदार नहीं होगी।

(ii) प्रार्थिनी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) प्रार्थिनी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ होने (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थिनी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस प्रकार की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

7. उपरोक्त निर्देशों के साथ, अग्रिम जमानत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

अर्पण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।